

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::


पटना-15, दिनांक- 11/03/2026

संख्या-14/निजी-1320/2026- 4729 /सा0प्र0, श्री रंजन कुमार चौधरी, बि0प्र0से0, को0क्र0-559/24, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, नालंदा द्वारा दिनांक-02.02.2026 से दिनांक-01.03.2026 तक कुल-28 दिनों की उपभोग की गयी छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त 28 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त श्री रंजन कुमार चौधरी, बि0प्र0से0 के पक्ष में 272 दिनों की उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री रंजन कुमार चौधरी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1320/2026- 4729 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/03/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/ श्री रंजन कुमार चौधरी, बि0प्र0से0, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, नालंदा/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।